किस्म मुकदमाः— :— धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

नम्बरः— 14/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>प्रतापाराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार आउ) | नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 2/8/24 | अपीलार्थी प्रतापाराम पुत्र श्री हरचंदराम, जाति विश्नोई निवासी ग्राम पोस्ट मोरिया तहसील आउ , जिला फलौदी ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2024 में उसके द्वारा अपील में उल्लेखित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार आउ ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस पक्ष से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार आउ ) के द्वारा पत्र बताया कि चाही गई सूचना का रिकार्ड जिला कार्यालय जोधपुर से संबधित है। पटवारी मोरिया के पास उपलब्ध उक्त चाही गये नक्शें की प्रति की फोटो प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गयी है।<br>प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा मांगी गई बिन्दुवार सूचनाऐं कार्यालय में उपलब्धता के आधार पर जरिये डाक अपीलांट को भिजवा दी गई थी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नहीं है।<br><br>अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। अपील फैसल होकर नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>जिला मजिस्ट्रेट<br>फलौदी (राज.) | |